

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:— एफ2(782)/डीओआईटीएण्डसी/2025

जयपुर, दिनांक

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है—

क्र.सं.	कार्मिक का नाम एवं पद (श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापन	पाठ्यक्रम का नाम
1.	मुदित सिंह दसोगा, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग पंचायत समिति—गढ़ी बांसवाडा	Bachelor in Library and Information Science (BLIS) 2026-27 VMOU, Kota
2.	लखन प्रजापत, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मावली, उदयपुर	Certificate in Library and Information Science (CLIS) Course 2026, IGNOU
3.	मनीष कुमार सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	उपखण्ड अधिकारी, राजस्व विभाग, अराई, अजमेर	B-Level III rd year 2026-27, NIELIT, Delhi
4.	ललितेश कुमारी, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन)	टेक्निकल कोर ग्रुप, पुलिस, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मुख्यालय जयपुर	M.Sc(CS), II nd year, 2026-27 VMOU, Kota

अतः उक्त हेतु कार्मिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम—17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
12. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित विभाग/कार्यालय.....।
3. संबंधित कार्मिक.....।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी